संख्या-2/2017/2798/सैंतीस-2-2016-1(41)/05टीसी

प्रेषक,

दया शंकर सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी,
बस्ती।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-03 जनवरी, 2017

विषयः- **चंगेरवा-बस्ती के ग्राम शुभमनगर (गंगियाकोहल) में पशुचिकित्सालय के भवन निर्माण हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-379/सा0-1/एक्स-120(188)/जि.यो./2015-16, दिनांक-22.12.2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि एक पशुचिकित्सालय के भवन निर्माण हेतु निर्धारित अद्यतन मानकीकृत लागत रू0-84.04 लाख (अनावासीय भवन-40.28 लाख+आवासीय भवन-43.76 लाख) के दृष्टिगत चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-15 के अधीन पशुचिकित्सालयों का निर्माण (जि.यो.) के मानक मद 24-वृहत् निर्माण कार्य के अन्तर्गत अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष पशुचिकित्सालय शुभमनगर (गंगियाकोहल), विकासखण्ड-सदर, जनपद बस्ती के अनावासीय भवन के निर्माणार्थ रू0-40.28 लाख एवं आवासीय भवन के निर्माणार्थ रू0-9.72 लाख इस प्रकार कुल रू0-50.00 लाख (रूपये पचास लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

1. प्रश्नगत कार्य हेतु "उ0प्र0 राजकीय निर्माण सहकारी संघ (यू.पी.आर.एन.एस.एस.)" कार्यदायी संस्था होगी।
2. कार्यदायी संस्था को धनराशि उपलब्ध कराने के पूर्व भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली जायेगी। धनराशि प्राप्त होने के पश्चात कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य अधिकतम 06 माह की अवधि में पूर्ण कराया जायेगा। यदि निश्चित अवधि में कार्य पूर्ण नहीं होता तो संबंधित मुख्य पशुचिकित्साधिकारी/निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग का यह दायित्व होगा कि वे कारणों का उल्लेख करते हुए इसकी सूचना तत्काल शासन को उपलब्ध करायें।
3. स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी बैंक/डाकघर/पी.एल.ए. में नहीं रखा जायेगा।
4. स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय उपलब्ध जनपदवार परिव्यय की सीमान्तर्गत ही किया जायेगा।
5. स्वीकृत धनराशि का व्यय उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा, वस्तुतः जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर अन्य मद/प्रयोजन में किया गया व्यय वित्तीय अनियमितता होगा।
6. स्वीकृत धनराशि का व्यय निर्माण संबंधी संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्थानुसार/मानकों के अधीन किया जायेगा तथा कार्यदायी संस्था को धनराशि आवश्यकतानुसार उपलब्ध करायी जायेगी।
7. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय इसी वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

8. लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्टयों एवं मानक के अनुसार गुणवत्ता पूर्ण कार्य सम्पादित कराया जायेगा। निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अनुसार हो तथा उसकी गुणवत्ता उत्कृष्ट कोटि की हो, इसकी पूर्ण जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी तथा समय-समय पर स्थलीय अनुश्रवण कर कार्य की गुणवत्ता एवं कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण हो, यह सुनिश्चित कराये जाने का उत्तरदायित्व निदेशक तथा निदेशालय के सम्बन्धित अधिकारियों का होगा।
9. वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता संबंधी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।
10. स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय करते समय वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक-22.03.2016 तथा शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक-06.06.1994 का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-"4403-पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनागत-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-03-पशुचिकित्सालयों का निर्माण (जि.यो.)-24-वृहत् निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक-22.03.2016 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(दया शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।

<u>पृ0सं0-2/2017/2798(1)/सैंतीस-2-2016- तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (रो.नि.), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण सहकारी संघ लि0, गोमती नगर, लखनऊ।
5. सम्बन्धित जिलाधिकारी/मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी।
6. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-2/नियोजन अनु0-3 ।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्राणेश चन्द्र शुक्ल)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in